

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दर श्रेणी अनुक्रमणिका

विद्युत दर अनुक्रमणिका	पृष्ठ क्रमांक
एल.व्ही. -1 घरेलू	192
एल.व्ही. - 2 गैर घरेलू	197
एल.व्ही. 3. 1 सार्वजनिक नल जल	201
एल. व्ही. 3.2 पथ प्रकाश	201
एल. व्ही. 4.1 निम्न दाब औद्योगिक (गैर मौसमी)	202
एल.व्ही. 4.2 निम्न दाब औद्योगिक (मौसमी)	202
एल. व्ही. 5.1 कृषि हेतु सिंचाई पम्प	205
एल.व्ही. 5.2 कृषि हेतु अन्य प्रयोजन	205
सामान्य निबंधन तथा शर्तें	210

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियाँ

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही-1 घरेलू:-

प्रयोज्यता :-

यह दर केवल आवासीय उपयोग हेतु प्रकाश, पंखा तथा पावर के लिए प्रभावशील होगी। धर्मशालाएं, गौशालाएं, वृद्धावस्था गृह (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों के लिए देख रेख केन्द्र (डे केयर सेंटर्स, उद्धारगृह (रेस्क्यू हाउस), अनाथालय, पूजा के स्थल तथा धार्मिक संस्थाएं भी इसी श्रेणी में शामिल होंगी।

विद्युत दर :-

एल.व्ही 1.1 (स्वीकृत भार 100 वाट (0.1 किलोवाट) से अधिक न होने वाले उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है)

(अ) ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार - मीटरीकृत संयोजन के लिए

विवरण				
मासिक खपत (यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार	
	शहरी एवं ग्रामीण			
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
30 यूनिट तक	310	310	निरंक	निरंक

(ब) न्यूनतम प्रभार - इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रुपये 40.00 प्रति संयोजन प्रति माह प्रयोज्य होंगे।

एल.व्ही-1.2

(अ) ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार - मीटरीकृत संयोजन हेतु

मासिक खपत खंड (यूनिट)	विद्युत शुल्क दूरबीन पद्धति लाभ सहित पैसे प्रति यूनिट (शहरी /ग्रामीण क्षेत्र)		मासिक स्थाई प्रभार (₹)			
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान		प्रस्तावित	
			शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	385	385	₹ 50 प्रति संयोजन	₹ 35 प्रति संयोजन	₹ 50 प्रति संयोजन	₹ 35 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट	470	480	₹ 90 प्रति संयोजन	₹ 65 प्रति संयोजन	₹ 90 प्रति संयोजन	₹ 70 प्रति संयोजन

101 से 300 यूनिट तक	600	620	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 100	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 85	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 105	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 90
301 यूनिट से अधिक	630	650	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 110	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 105	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 115	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु 110

न्यूनतम प्रभार:- उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभारों के रूप में न्यूनतम प्रभार रुपये 60 प्रति संयोजन प्रति माह प्रयोज्य होंगे

टीपः अधिकृत भार को म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 (समय समय पर संशोधित) में परिभाषित किया जाएगा। (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण: यदि माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो, तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। यदि खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा)

अस्थाईमीटरीकृत / ट्रांसफार्मर वितरण संयोजन	ऊर्जा प्रभार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार			
			वर्तमान		प्रस्तावित	
	वर्तमान	प्रस्तावित	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन वर्ष अधिकतम एक) (की अवधि हेतु	830	830	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु3 .90	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु 350 .	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु.300	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु250.
सामाजिकवैवाहिक / प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	830	830	प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक	रु प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक	प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक	प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक किलोवाट के

			किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमे से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु . 70	किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमे से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु .55	किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमे से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु 70 .	स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमे से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु . 55
झुग्गीझोपड़ी समूह - हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नहीं कराये जाते	330	330	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

न्यूनतम प्रभार: अस्थाई संयोजन के लिए ऊर्जा प्रभार रु. 1000/- प्रति संयोजन प्रति माह लागू होगा एवं झुग्गी झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय किये जाने पर कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजनों हेतु जिनका सम्बद्ध भार 500 वाँट तक है के लिए ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजन जिनका सम्बद्ध भार 300 वाँट से अधिक तथा 500 वाँट तक है	75 यूनिट हेतु, 430 प्रति यूनिट की दर से	75 यूनिट हेतु, 440 प्रति यूनिट की दर से	रु 75 प्रति संयोजन	रु 80 प्रति संयोजन
अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजन जिनका सम्बद्ध भार 200 वाँट से अधिक तथा 300 वाँट तक है (ऐसे कनेक्शन जिनके यहां दो कमरे एवं टेलीवीजन है)	60 यूनिट हेतु, 417 प्रति यूनिट की दर से	60 यूनिट 430 प्रति यूनिट की दर से	रु 50 प्रति संयोजन	रु 55 प्रति संयोजन

अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजन जिनका सम्बद्ध भार 200 वाॅट तक है (ऐसे कनेक्शन जिनके यहां दो कमरे एवं टेलीवीजन नहीं है)	50 यूनिट हेतु, 310 प्रति यूनिट की दर से	50 यूनिट 320 प्रति यूनिट की दर से	रु 45 प्रति संयोजन	रु 45 प्रति संयोजन
---	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

न्यूनतम प्रभार - इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम प्रभार प्रयोज्य नहीं होंगे।

एल.व्ही. 1 श्रेणी के लिए विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(अ) बिलिंग के प्रयोजन हेतु, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित की गई खपत के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर-बराबर विभाजित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हैं, की बिलिंग भी की जाएगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(द) पूर्व भुगतान (प्रीपेड) उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मासिक आधार पर खपत की गई सभी यूनिट पर 25 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट प्रभावशील होगी और छूट उपरांत प्राप्त होने वाली प्रभावशील दर पर अन्य सभी प्रभारों की गणना की जायेगी। पूर्व भुगतान मीटर का विकल्प देने वाले उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के लिये कोई अमानत राशि जमा नहीं करनी होगी।

(ई) स्वयं के उपयोग हेतु अस्थायी तौर पर विद्युत की आवश्यकता होने पर, स्थायी मीटर घरेलू संयोजन से स्वीकृत भार के 10 प्रतिशत तक के प्रकाश के उपयोग हेतु तथा वेल्डिंग एवं ग्राइडिंग के वास्तविक भार तक के ऊर्जा का उपयोग स्थायी कनेक्शन को लगाने वाली दर पर मान्य होगा। तथा यहां प्रकाश की उपयोगिता अथवा घर के सुधार / उन्नयन कार्य आदि के लिए लागू होगा।

सौभाग्य योजना

भारत सरकार ने दि. 25.09.2017 को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ परिवारों को दिनांक 31.12.2018 तक विद्युत कनेक्शन देने हेतु प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर

योजना (सौभाग्य) प्रारम्भ की है। इस योजनान्तर्गत दिनांक 31.12.2018 तक प्रत्येक घर को विद्युत कनेक्शन देने हेतु धनराशि मुहैया करायी है।

म.प्र. ऊर्जा क्षेत्र का एक अग्रणी राज्य है जो भारत सरकार की योजना में भारी उत्साह के साथ, प्रदेश के प्रत्येक घर को विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने हेतु, भाग ले रहा है ताकि आखरी घर को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का लक्ष्य तय समय सीमा के पहले प्राप्त किया जा सके।

सितम्बर-2017 तक विद्युत वितरण कंपनियों में लगभग 97 लाख घरेलू उपभोक्ता है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त 42 लाख घरेलू कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्युत वितरण कंपनियां वर्तमान में विस्तृत रणनीति तैयार कर रही है। वास्तविकता में पिछले तीन माह में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगभग 2.25 लाख कनेक्शन दिये जा चुके हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर मीटर लगाया जाना सुनिश्चित करना, विद्युत वितरण कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य हेतु बड़ी संख्या में मीटरों का क्रय किया जाना शामिल होगा, जो एक लम्बी प्रक्रिया है। यद्यपि विद्युत वितरण कंपनियां मीटर तथा प्री-पेड मीटर लगाने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमन 2015 में दिये गये वितरण हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी विद्युत वितरण कंपनियां प्रतिबद्ध है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस वृहद कार्य हेतु रणनीति को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः हम माननीय नियामक आयोग का इसमें आसक्ति मांगते हैं कि हमें भविष्य में एल.व्ही. 1 श्रेणी के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करें।

विद्युत - दर अनुसूची-एल.व्ही.- 2 गैर-घरेलू

एल.व्ही.-2.1

प्रयोज्यता:

यह विद्युत-दर शैक्षणिक संस्थाओं जिनमें अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पालिटेक्निक /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (जो किसी प्रासंगिक शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की कर्मशालाएँ (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाएँ सम्मिलित हैं), विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को प्रकाश, पंखा तथा पावर विद्युत लागू होगी।

टैरिफ :-

टैरिफ निम्न तालिका अनुसार लागू होगा :-

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)			
	शहरी / ग्रामीण क्षेत्र		वर्तमान		प्रस्तावित	
	वर्तमान	प्रस्तावित	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
स्वीकृत भार आधारित विद्युत-दर (केवल 10 किलो वाट संयोजित भार तक)	610	620	130 प्रति किलो वाट	100 प्रति किलो वाट	130 प्रति किलो वाट	100 प्रति किलो वाट
अनिवार्य माँग आधारित विद्युत दर 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु	610	620	240 प्रति किलोवाट अथवा रू. 192 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	200 प्रति किलोवाट अथवा रू. 160 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	245 प्रति किलोवाट अथवा रू. 196 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	205 प्रति किलोवाट अथवा रू. 164 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

एल.व्ही.-2.2

प्रयोज्यता:

यह विद्युत-दर रेलवे (कर्षण तथा रेलवे कालोनी/जलप्रदाय के प्रयोजन के अतिरिक्त), दुकानों/प्रदर्शन कक्षों, बैठक-कक्ष (पार्लर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों तथा चिकित्सा परिचर्या सुविधाएँ जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्लीनिक (शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के) नर्सिंग-होम सम्मिलित हैं, सार्वजनिक भवनों, अतिथि-गृहों (गेस्ट हाऊस), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष-किरण संयंत्र, मान्यता-प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टारेंट, खान-पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक-हाल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस-प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक कक्षों (यथा अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि) वाटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान-स्थलों, विवाह-घरों, विज्ञापन-सेवाओं, विज्ञापन पटलों/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों, सिलाई दुकानों, वस्त्र धुलाई-घर, व्यायाम-घरों, स्वास्थ्य-क्लबों, मोबाईल संचार हेतु दूरसंचार टावर तथा अन्य कोई संस्था (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक-कर/सेवा-कर/वैल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन-कर/विलास-कर का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को प्रकाश, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

टैरिफ :-

टैरिफ निम्न तालिका अनुसार लागू होगा :-

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)			
	शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान		प्रस्तावित	
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	620	630	70 प्रति कि.वा.	55 प्रति कि.वा.	70 प्रति कि.वा.	55 प्रति कि.वा.
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है।	740	750	115 प्रति कि.वा.	100 प्रति कि.वा.	120 प्रति कि.वा.	105 प्रति कि.वा.
अनिवार्य माँग आधारित विद्युत दर 10 किलोवाट से अधिक संविदा माँग हेतु	640	640	260 प्रति किलोवाट अथवा 208 प्रति केवीए बिलिंग माँग पर	190 प्रति किलोवाट अथवा 152 प्रति केवीए बिलिंग माँग पर	265 प्रति किलोवाट अथवा 212 प्रति केवीए बिलिंग माँग पर	200 प्रति किलोवाट अथवा 160 प्रति केवीए बिलिंग माँग पर
मेला* हेतु, निम्नदाब पर बहु-बिन्दु अस्थाई संयोजन	850	850	220, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के	190, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के	300, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के	250, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के

सहित अस्थाई संयोजन			लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो	लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो,	लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो	लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो,
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु विवाह उद्यान स्थलों अथवा विवाह-घरों अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	850 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम रु. 500 की होगी)	850 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम रु. 500 की होगी)	रु. 85 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,	रु. 65 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,	रु. 85 प्रति किलोवाट या इसके अंश अस्थाई संयोजन हेतु प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,	रु. 65 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष-किरण संयंत्र	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)					
	वर्तमान			प्रस्तावित		
एकल फेज	540			540		
तीन फेज	760			760		

दांतों हेतु क्षय किरण संयंत्र	120	120
----------------------------------	-----	-----

* केवल उसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एल.व्ही.-2.3

प्रयोज्यता:

यह विद्युत दर शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जिनका सम्बद्ध भार 1 किलो वॉट तक है, के प्रकाश, पंखा, कूलर (हीटर एवं वेल्डिंग उपयोग आदि को छोड़कर) हेतु लागू होगी

उप श्रेणी	क्षेत्र	भुगतान करने योग्य सम-दर टैरिफ
01 किलो वॉट तक भार हेतु	शहरी क्षेत्र	600 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
01 किलो वॉट तक भार हेतु	ग्रामीण क्षेत्र	400 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

टीप :- ऊर्जा की गणना एवं लेखांकन हेतु शहरी क्षेत्र में 80 यूनिट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रतिमाह खपत का आंकलन किया जावेगा।

एल.व्ही.-2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :-

(अ) **न्यूनतम खपत:** उपभोक्ता को स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में) हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश पर 240 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश पर 180 यूनिट न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, क्ष-किरण इकाई के भार को, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

(ब) **आधिक्य मांग के लिए अतिरिक्त प्रभार:** इनकी बिलिंग निम्न-दाब विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में दिये अनुसार की जायेगी।

(स) अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(द) **एल.व्ही. 2.1 एवं एल.व्ही. 2.2 के लिए :** संयोजित भार 10 किलोवाट से अधिक होने पर मांग आधारित टैरिफ अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी के.व्ही.ए/किलोवाट, के.डब्ल्यू.एच, के.व्ही.ए.एच माँग अभिलिखित करने की क्षमता वाला ट्राईवेक्टर / बाइवेक्टर मीटर उपलब्ध करायेगा।

(इ) पूर्व भुगतान (प्रीपेड) उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मासिक आधार पर खपत की गई सभी यूनिट पर 25 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट प्रभावशील होगी और छूट उपरांत प्राप्त होने वाली प्रभावशील दर पर अन्य सभी प्रभारों की गणना की जायेगी। पूर्व भुगतान मीटर का विकल्प देने वाले उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के लिये कोई अमानत राशि जमा नहीं करनी होगी।

विद्युत-दर अनुसूची एल.व्ही.-3 - सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ-प्रकाश

प्रयोज्यता:

एल.व्ही. 3.1 दर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या स्थानीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिसे शासन द्वारा जलप्रदाय संयंत्रों/ जल-मल संस्थापनों के प्रदाय/ संधारण का दायित्व सौंपा गया हो, की सार्वजनिक उपयोगिता वाली जलप्रदाय योजनाओं, जल-मल शोधन संयंत्रों, जल-मल पंपिंग संयंत्रों और स्थानीय निकाय /न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव-दाह गृहों पर लागू होगा।

टीप: निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्थाओं द्वारा स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों / टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएं आदि इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत के लिए उच्चतर विद्युत-दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

एल.व्ही. 3.2 दरें यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़क बस्तियों तथा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवनों, स्मारकों तथा इनके संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक वाचनालयों तथा सुलभ शौचालय पर भी लागू होंगी।

टैरिफ :-

टैरिफ निम्न तालिका अनुसार लागू होगा :-

उपभोक्ता की श्रेणी प्रयोज्यता क्षेत्र /	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार रूपये प्रति किलो वॉट		न्यूनतम प्रभार
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	
L.V.3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय					कोई न्यूनतम प्रभार नहीं
नगर निगम /छावनी परिषद	520	560	240	260	
नगर पालिका / नगर पंचायत	500	540	230	250	
ग्राम पंचायत	490	525	100	110	
अस्थाई विद्युत प्रदाय	प्रयोज्य विद्युत दर का 1.3 गुना				
L.V.3.2 पथ प्रकाश-	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	कोई न्यूनतम प्रभार नहीं
नगर निगम /छावनी परिषद	520	560	350	370	
नगर पालिका / नगर पंचायत	500	540	320	340	
ग्राम पंचायत	490	525	100	110	

एल.व्ही-3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(अ) मांग आधारित प्रबंधन को अंगीकृत करने पर प्रोत्साहन

ऊर्जा बचत उपकरणों के उपयोग अथवा स्थापित करने पर ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी (जैसे की आई.एस.आई. ऊर्जा दक्षता के मोटर पम्प सेट, पथ प्रकाश हेतु स्वचलित चालू बंद करने के स्विच का उपयोग करने आदि) यह प्रोत्साहन राशि पूर्ण बिल अंतिम तारीख के पहले जमा करने पर ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यह प्रोत्साहन राशि ऊर्जा बचत उपकरणों के लगाने के बाद अगले माह से विद्युत वितरण कंपनियों के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि तब तक दी जाएगी जब तक कि ऊर्जा बचत उपकरण क्रियाशील रहते हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उपाय करना होगा।

(ब) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब विद्युत दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची-एल.व्ही.-4 निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता:

विद्युत दर एल.वी-4 प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं (जहां कोई प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण कार्य, टायर-रीट्रेडिंग को सम्मिलित करते हुए, सम्पन्न हो) के लिए लाईट, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु लागू होगी। ये विद्युत-दरें शीतागार, गुड बनाने वाली मशीनों, आटा चक्कियों, मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (जिनिंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई केशरों (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत-करघों, दालमिलों, बेसन मिलों तथा बर्फखानों तथा अन्य कोई विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाईयों (बाटलिंग संयंत्रों को छोड़कर), खाद्य पदार्थों का उत्पादन / प्रसंस्करण अथवा उसका संरक्षण/इसके शेल्फ जीवन काल में अभिवृद्धि के लिए की जाने वाली प्रोसेसिंग तथा डेरी इकाईयों (जहां दूध का प्रसंस्करण अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए, शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर होता हो) हेतु भी लागू होंगी।

टैरिफ :-

	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)				ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	
		वर्तमान		प्रस्तावित		शहरी / ग्रामीण क्षेत्र	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	वर्तमान	प्रस्तावित
4.1	गैर-मौसमी (नॉन सीजनल) उपभोक्ता						
4.1 अ	मांग आधारित विद्युत दर (संविदा मांग 150 एच पी / 112 किलो वाट तक)	बिलिंग मांग पर 285 प्रति किलोवाट/	बिलिंग मांग पर 180 प्रति किलोवाट अथवा रू	बिलिंग मांग पर 290 प्रति किलोवाट अथवा रू	बिलिंग मांग पर 190 प्रति किलोवाट अथवा रू	630	630

		228 प्रति केवीए	144 प्रति केवीए	232 प्रति केवीए	152 प्रति केवीए			
4.1 ब	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत दर का 1.3 गुना						

*25 अ.श. तक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं के मामले में ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार, उपरि सारिणी में दर्शित विद्युत दर श्रेणी 4.1 अ की दरों से 30 प्रतिशत कम पर प्रभारित किये जावेंगे।

नोट:- ऐसे उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 25 एच पी तक है लेकिन अधिकतम डिमांड जिस माह में 25 एच पी से ज्यादा अंकित होगी उस माह में 30 प्रतिशत की छूट लागू नहीं होगी।

4.2 मौसमी उपभोक्ता (मौसम की अवधि निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी) यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो विद्युत-दर तत्संबंधी अवधि हेतु प्रयोज्य होगी।				
4.2 अ	मौसम के दौरान	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर
4.2 ब	मौसम बाह्य	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग पर, जो भी अधिक हो	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग पर, जो भी अधिक हो	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

अ. उपभोक्ता की प्रत्येक माह में अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में किन्हीं निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के चार गुना के बराबर मानी जाएगी।

ब. सभी निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को मांग आधारित दर अनिवार्य है एवं अनुज्ञप्तिधारी मांग, के.व्ही.ए./ किलो वाॅट, के.डब्ल्यू.एच., के.डब्ल्यू.ए.एच. तथा खपत के समय, को दर्ज करने में सक्षम बाइवेक्टर / ट्राइवेक्टर मीटर उपलब्ध कराएगा।

स. न्यूनतम खपत:- इस श्रेणी में न्यूनतम खपत का कोई बंधन नहीं है।

- द आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार: इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।
- इ अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी, जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युतदर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- फ मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें:
- I. उपभोक्ता को इस टैरिफ आदेश के जारी होने के 60 दिनों के अंदर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मौसमी एवं बाह्य मौसमी माहों को घोषित करना होगा। यदि उपभोक्ता ने इस टैरिफ आदेश के जारी होने से पूर्व मौसमी एवं बाह्य मौसम अवधि घोषित कर दी है तो उसे इस उद्देश्य के लिए संज्ञान में लिया जायेगा एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
 - II. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
 - III. यह विद्युत-दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार हैं।
 - IV. उपभोक्ता को उसकी मौसम-बाह्य मासिक खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता की बिलिंग, प्रभावशील गैर मौसमी विद्युत दर के अनुसार की जाएगी।
 - V. उपभोक्ता को बाह्य - मौसम के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग की 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित बाह्य - मौसम के किसी माह में अधिकतम मांग संविदा मांग के 31.5 प्रतिशत (संविदा मांग के 30 प्रतिशत का 105 प्रतिशत) से अधिक पाई जाती है, तो सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, उपभोक्ता की बिलिंग प्रभावशील गैर मौसमी विद्युत दर के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची-एल.व्ही.-5 कृषि एवं संबंधित गतिविधियां :

प्रयोज्यता:

टैरिफ दर एल.व्ही.-5.1 कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, श्रेषर, अनाज पछारने वाली मशीनों, बीजारोपण मशीनों तथा पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल सहित उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप के संयोजनों पर प्रयोज्य होंगी। नर्सरी-फूल / पौधे / पौध (सैपलिंग) / फल उगाने वाली रोपणियों, चारागाह (ग्रासलैंड) तथा कुकुरमुत्ता (मशरूम) उगाने हेतु लिए गए संयोजनो पर प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर एल.व्ही.-5.2 मत्स्य तालाबों, एक्काकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु-प्रजनन केन्द्रों तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों, जहाँ केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजन पर प्रयोज्य होगी।

टैरिफ दर एल.व्ही.-5.3 स्थायी कृषि पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, श्रेषर, आनाज पछारने वाली मशीनों, बीजारोपण मशीनों एवं पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल सहित उदवहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगी।

टैरिफ:-

क्रमांक	उप-श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		वर्तमान		प्रस्तावित	
एल.व्ही - 5.1					
अ) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	35	430	45	460
(ii)	माह में 300 यूनिट से अधिक 750 यूनिट तक	45	515	45	560
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों हेतु	45	545	45	590
ब)	अस्थाई संयोजन	45	559	45	598

क्रमांक	उप-श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		वर्तमान		प्रस्तावित	
स)	समूह उपभोक्ताओं हेतु मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मर	निरंक	390	निरंक	420
एल.व्ही -5.2					
a)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	90 प्रति अश्वशक्ति	490	95 प्रति अश्वशक्ति	520
b)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	70 प्रति अश्वशक्ति	470	80 प्रति अश्वशक्ति	500
c)	मांग आधारित विद्युत-दर शहरी क्षेत्रों में (150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	230 प्रति किलोवाट अथवा 184 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	580	230 प्रति किलोवाट अथवा 184 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	580
d)	मांग आधारित विद्युत दर ग्रामीण क्षेत्रों में (150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	110 प्रति किलोवाट अथवा 88 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	580	185 प्रति किलोवाट अथवा 148 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	580
एल.व्ही 5.3		वर्तमान		प्रस्तावित	
	कृषि सम दर (फ्लेट रेट) अनुदान रहित *	माह अप्रैल से सितम्बर हेतु उपभोक्ता द्वारा देय राशि प्रति अश्वशक्ति (छः माह की अवधि हेतु)	माह अक्टूबर से माह मार्च हेतु उपभोक्ता द्वारा देय राशि प्रति अश्वशक्ति (छः माह की अवधि हेतु)	माह अप्रैल से सितम्बर हेतु उपभोक्ता द्वारा देय राशि प्रति अश्वशक्ति (छः माह की अवधि हेतु)	माह अक्टूबर से माह मार्च हेतु उपभोक्ता द्वारा देय राशि प्रति अश्वशक्ति (छः माह की अवधि हेतु)
अ)	तीन फेस-शहरी	700	700	700	700
ब)	तीन फेस-ग्रामीण	700	700	700	700
स)	एकल फेस-शहरी	700	700	700	700
द)	एकल फेस-ग्रामीण	700	700	700	700

*कृपया निबंधन एवं शर्तों हेतु पैरा 1.2 देखें

टीप:- शहरी क्षेत्र के ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अलग किये गये कृषि फीडर के अलावा अन्य फीडर से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। उनके कनेक्शन पर मीटर लगाकर मीटर्ड टैरिफ से बिलिंग की जावेगी। मीटर लगने तक ऐसे उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट दर पर बिलिंग की जावेगी।

निबंधन तथा शर्तें :-

- 1.1 विद्युत दर सूची एल व्ही 5.1 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग: विद्युत दर सूची एल व्ही 5.1 के तहत उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर में दर्ज की गई खपत के आधार पर मासिक आधार पर की जायेगी। इस अनुसूची के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थाई संयोजन की बिलिंग टैरिफ अनुसूची 1.3 (III) के आधार पर आंकलन की गई खपत के लिये की जायेगी।
- 1.2 विद्युत दर सूची एल व्ही 5.3 के अंतर्गत उपभोक्ता की बिलिंग:- विद्युत दर अनुसूची एल.व्ही. 5.3 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा देय दरें अनुदान के अतिरिक्त हैं। विद्युत दर सूची एल व्ही 5.3 के तहत आने वाले उपभोक्ता के बिल की गणना अनुसूची एल व्ही 5.1 की दरों के आधार पर, इस अनुसूची की शर्त क्रमांक 1.3 में वर्णित प्रति अ.श. खपत आंकलन के आधार पर की जायेगी। उपभोक्ता द्वारा विद्युत दर अनुसूची एल व्ही 5.3 के तहत निर्दिष्ट दरों पर भुगतान किया जायेगा तथा बिल की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वितरण लाईसेंसी को अग्रिम अनुदान के रूप में किया जायेगा।
- 1.3 एल.वी. 5.1 और एल.वी. 5.3 के लिए ऊर्जा लेखा एवम लेखांकन के आधार
 - I. दर अनुसूची एलवी 5.1 और एल.वी. 5.3 के लिए लेखापरीक्षा और लेखा प्रयोजनों, हेतु मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिल की गई वास्तविक खपत पर विचार किया जाएगा।
 - II. एल.वी. 5.3 श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग हेतु आंकलित खपत निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होगी

विवरण	यूनिट प्रति माह, प्रति अ.श. स्वीकृत भार अथवा उसके अंश हेतु			
	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
मोटर पम्प का प्रकार	अप्रैल से सितंबर	अक्टूबर से मार्च	अप्रैल से सितंबर	अक्टूबर से मार्च
तीन फेज	120	170	110	170
एकल फेज	120	180	110	180

एल.वी. 5.1 श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु, आंकलित खपत निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होगी:

विवरण	प्रति अ.श.या उसके अंश के स्वीकृत भार के लिए यूनिट प्रतिमाह	
मोटर पम्प का प्रकार	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
तीन फेज	220	195
एकल फेज	230	205

- 1.4 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा। इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं। यह बढ़ाई गई अवधि हेतु समय-समय पर की गई संपूर्ति तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्याधीन होगा। फसलों की श्रेथिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल खरीफ तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान पर अस्थाई संयोजन प्रदाय किया जा सकेगा।
- 1.5 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर निम्न प्रोत्साहन * प्रदान किये जायेंगे :

क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	छूट की दर
1.	आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबलड मोटरों वाले पंप सेट हेतु	15 पैसे प्रति यूनिट
2.	आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबलड मोटरों वाले पंप सेट तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग पर	30 पैसे प्रति यूनिट
3.	आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबलड मोटरों वाले पंप सेट तथा उपयुक्त क्षमता के शंट कैपेसिटर की संस्थापना सहित घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु	45 पैसे प्रति यूनिट

* मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि बिल की पूर्ण राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर खपत किये गये समस्त यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जायेगा। प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों के उपयोग के माह के अगले माह से, अनुज्ञेयकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञेयकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। अनुज्ञेयकारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

1.6 न्यूनतम खपत:

- i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एल व्ही-5.1): उपभोक्ता को माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रतिमाह संयोजित भार पर प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम खपत 30 यूनिट तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार पर प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम खपत 90 यूनिट प्रत्याभूत करनी होगी, चाहे माह के दौरान किसी विद्युत की खपत की गई हो या नहीं।

ii) कृषि के अलावा अन्य उपयोग हेतु (एल व्ही-5.2):

- (अ) अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता को सर्विदा मांग अथवा उसके अंश पर 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति पर तथा शहरी क्षेत्रों में सर्विदा मांग अथवा उसके अंश पर 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति न्यूनतम वार्षिक खपत प्रत्याभूत करनी होगी, जो इस तथ्य से असंबद्ध होगी कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत की खपत की गई है अथवा नहीं।
- (ब) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो तो उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।
- (स) न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।
- 1.7 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार: इनकी बिलिंग विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।
- 1.8 विलंबित भुगतान अधिभार एल.व्ही. 5.3 फ्लैट दर पर कृषि उपभोक्ताओं के मामले में - तत्संबंधी 100/- की बकाया राशि के प्रत्येक ब्लॉक या अंश के लिए 1/- रुपए प्रति माह की दर से लगाया जाएगा। इस टैरिफ अनुसूची की अन्य उप श्रेणियों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार निम्न दाब टैरिफ की शर्तों के तहत निर्दिष्ट अनुसार बिल किया जाएगा।
- 1.9 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्तें:
- (अ) वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- (ब) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी।
- 1.10 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप 20 बॉट का एक सी.एफ.एल. / एल.ई.डी./ बल्ब लगाने की अनुमति होगी।
- 1.11 एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना से तीन-फेज कृषि पंप के उपयोग को विद्युत की अवैध निकासी माना जाएगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरुद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 1.12 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तें :-

1. **ग्रामीण क्षेत्रों से अभिप्राय है** ऐसे क्षेत्र जिन्हें मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ-13/05/13/2006 दि. 25.03.2006 से अधिसूचित एवं समय समय पर संशोधित किया गया है। शहरी क्षेत्रों से अभिप्राय ऐसे समस्त क्षेत्रों से है जिन्हें म.प्र. शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।
2. **पूर्णांक करना :-** समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।
3. **बिलिंग मांग:** मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, माह के दौरान उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या अधिक भाग को अगले उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 0.5 से नीचे के भाग की उपेक्षा की जाएगी।
4. **स्थायी प्रभारों की बिलिंग** - स्थायी प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार को, जब तक अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या अधिक भाग को अगले उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा 0.5 से नीचे के भाग को छोड़ दिया जाएगा। तथापि एक अ.श. / कि.वा. से कम भार को एक अ.श. / कि.वा. माना जाएगा।
5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि:**

(अ) मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर हॉटीकल्चर गतिविधियों हेतु एल व्ही 5.1 एवं एल व्ही 5.2 की बिलिंग: उपभोक्ता, जिसकी वास्तविक खपत उस श्रेणी के लिये निर्धारित मासिक न्यूनतम खपत से कम है, को निर्धारित न्यूनतम मासिक खपत का बिल किया जायेगा।

(ब) अन्य उपभोक्ताओं के लिए: (जहां लागू हो)

- उपभोक्ता की बिलिंग उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत (किलोवाट आवर में) के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई न्यूनतम खपत से कम है।
- माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।
- जिस माह में उपभोक्ता की संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी मासिक समानुपातिक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जायेगी उस माह में न्यूनतम टैरिफ खपत को समायोजित किया जायेगा। यदि वास्तविक संचयी खपत उस माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट आवर वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (किवा. घंटे)	संचयी न्यूनतम खपत (किवा. घंटे)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (किवा. घंटे)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4-5) (किवा. घंटे)

1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6 आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार हेतु अतिरिक्त प्रभार: इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:

अ. उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत दर (टैरिफ) का विकल्प प्रस्तुत करते हैं: मांग आधारित विद्युत दर पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम अभिलिखित मांग, संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत-दर संविदा मांग की 115 प्रतिशत की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक के अध्याधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा:-

- आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार :-** अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त संयोजित भार की वजह से कोई अतिरिक्त शुल्क ऊर्जा पर लागू नहीं कर रहे हैं।
- आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार:** इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी:
 - आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग की 130 % तक हो:- संविदा मांग के 115 % से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।
 - आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 % से अधिक हो:- उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 30% प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

ब. वे उपभोक्ता जो सन्योजित भार आधारित टैरिफ के लिए विकल्प प्रस्तुत करते हैं :
जो उपभोक्ता संयोजित भार आधारित टैरिफ के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है वह अपने वास्तविक सन्योजित भार को स्वीकृत भार के अंदर प्रतिबंधित करेगा। हालांकि, किसी महीने में यदि वास्तविक सन्योजित भार, स्वीकृत भार के 115% से अधिक हो जाता है तो इस सूची में दी गई विद्युत दर स्वीकृत भार के 115% तक ही लागू होगी। उपभोक्ता को स्वीकृत भार के 115% से अधिक पाये गये संयोजित भार (जिसे आधिक्य भार कहा जाता है (एवं तत्संबंधी खपत को निम्नांकित दरों के अनुसार प्रभारित किया जा

- आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार :** अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त संयोजित भार की वजह से कोई अतिरिक्त शुल्क ऊर्जा पर लागू नहीं कर रहे हैं।

- (ii) **आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार** : उस अवधि के लिए जिसके लिए आधिक्य भार का उपयोग उपरोक्त कंडिका (एक) की स्थिति में निर्धारित किया गया हो, ये प्रभार निम्नानुसार बिल किये जायेंगे।

- 1 **आधिक्य भार हेतु नियत प्रभार** यदि संयोजित स्वीकृत भार के 130 % तक पाया जाता है: स्वीकृत भार के 115% से अधिक पाये गये संयोजित भार के लिए आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार की बिलिंग सामान्य दर की 1.3 गुना की जायेगी।
- 2 **आधिक्य भार हेतु नियत प्रभार** यदि भार स्वीकृत भार के 130 % से अधिक पाया जाता है: उपरोक्त एक (के अतिरिक्त स्वीकृत भार के 30 प्रतिशत से अधिक पाये गये भार पर स्थायी प्रभार की सामान्य दर की 2 गुना बिलिंग की जायेगी।

स. उपभोक्ताओं को अतिरिक्त संयोजित भार या आधिक्य मांग, के लिए उपरोक्त बिलिंग किसी आयोग या किसी अन्य कानून के तहत अधिसूचित विनियमों के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुबंध पुनरीक्षित करने की मांग के अधिकार पर पूर्वाग्रह बिना हैं।
प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग की गणना, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान किसी 15 मिनट की निरन्तर अवधि हेतु प्रदाय की गई अधिकतम किलो बोल्ट एम्पीअर आवर्स का चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. प्रोत्साहन / छूट :-

- (a) **अग्रिम भुगतान** :- खपत की अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी अग्रिम भुगतान की राशि पर, जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर उस राशि पर प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर (जो अनुज्ञप्तिधारी के पास कैलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उपभोक्ता के खाते जमा कर दी जाएगी।
- (b) **तत्पर भुगतान हेतु छूट** : ऐसे प्रकरणों में, जहां देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है, देयक राशि बकाया राशि, सुरक्षा जमा, मीटर किराया एवं शासकीय कानूनी उगाही यथा विद्युत शुल्क एवं उपकर आदि को छोड़कर (के तत्पर भुगतान पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। वे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध देयको की राशि बकाया हो, को इस छूट की पात्रता नहीं होगी।
- (c) **देयकों के ऑनलाइन भुगतान पर निम्नदाब उपभोक्ताओं को छूट** :- उपभोक्ता को ऑन लाइन बिल का भुगतान करने पर कुल राशि का 0.5 प्रतिशत अधिकतम 20/- रुपये तथा न्यूनतम 5/- रुपये प्रति बिल छूट लागू होगी। आन लाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध होंगी :-
 - (i) पेमेन्ट गेटवे
 - (ii) नेट बैंकिंग
 - (iii) डेबिट / क्रेडिट कार्ड
 - (iv) एम.पी.ऑन लाईन (एम.पी.आन लाईन वेब पोर्टल के द्वारा)
 - (v) एस.बी.आई. कलेक्ट (केवल उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए)

(vi) स्मार्ट बिजली (मोबाइल एप)

अन्य इसी प्रकार के अन्य मोड जो समय-समय पर वितरण कंपनियों द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

(D) भार कारक प्रोत्साहन : मांग आधारित विद्युतदर के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के स्लैब खण्ड निम्नानुसार अनुज्ञेय होंगे:

भार-कारक) लोड फेक्टर(ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार-कारक) लोड फेक्टर (पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी।
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक) लोड फेक्टर (की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{मासिक खपत} \times 100$$

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{ऊर्जा कारक}}{\text{मासिक खपत} \times 100}$$

- मासिक खपत माह के दौरान खपत की गई यूनिटों (के.डब्ल्यू.एच.) के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञापितधारी के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।
- बिलिंग माह में घंटों की संख्या में अनुसूचित विद्युत अवरोध घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।
- मांग, अधिकतम अभिलिखित मांग या संविदा मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक) लोड फेक्टर (प्रतिशत को निकटतम निम्न संख्या तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता के बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रूप में विचाराधीन हो।

(E) **ऊर्जा कारक प्रोत्साहन**:- यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :-

भार कारक) पावर फैक्टर(बिल किये गये ऊर्जा प्रभागों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन हेतु “औसत मासिक ऊर्जा कारक” को माह के दौरान अभिलिखित कुल किलोबोल्ट आवर्स एवं कुल किलोवाट एम्पीयर आवर्स के अनुपात के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

8. अन्य निबंध एवं शर्तें :-

- (a) जहां उच्चतर सीमा निर्धारित की गई हो अथवा श्रेणी को संयोजित भार की उच्चतम सीमा से छूट दी गई हो, को छोड़कर स्वीकृत भार या संयोजित भार या संविदा मांग 112 किलोवाट / 150 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके संयोजित

भार/ संविदा मांग की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अंतर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

b) माप यंत्र प्रभारों की बिलिंग, मीटरिंग तथा अन्य प्रभारों के निर्धारण के अनुसार, जैसा कि इसे, मप्रविनिआ) विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युतलाइन प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली (विनियम) पुनरीक्षण प्रथम (2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, की जायेगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के अंश को पूर्ण माह माना जायेगा।

c) ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश को अनादरित कर दिया गया हो, वहां प्रासंगिक विधि में उपलब्ध ऐसी किसी कार्यवाही जो अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के पूर्वाग्रह बिना हो, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त रु 200 . प्रति चेक का सेवा शुल्क भी अधिरोपित किया जायेगा।

d) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

e) बेल्टिंग अधिभार, बेल्टिंग ट्रांसफार्मरों वाली ऐसी संस्थापनाओं पर लागू होगा जहां बेल्टिंग ट्रांसफार्मर का संयोजित भार कुल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो जाता है और जहां ऊर्जा कारक को 75 प्रतिशत लैगिंग से कम नहीं रखने हेतु निर्धारित क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर संस्थापित नहीं किये गये हैं। माह के दौरान पूरी संस्थापना की खपत पर 75) पञ्चत्तर (पैसे प्रति यूनिट की दर से बेल्टिंग अधिभार प्रभारित किया जायेगा। तथापि, जब ऊर्जा कारक 0.8 या उससे अधिक हो जायेगा तो कोई बेल्टिंग अधिभार प्रभारित नहीं किया जायेगा।

f) बेल्टिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार किलोवाट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे बेल्टिंग ट्रांसफार्मरों के अधिकतम करंट अथवा केवीए रेटिंग का भार कारक 0.6 (60 प्रतिशत (प्रयोज्य होगा।

g) विद्यमान निम्नदाब पावर उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा उसके द्वारा उचित क्षमता) रेटिंग (के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में, मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013, समय समय पर संशोधित, का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता पर यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत ऊर्जा-कारक 0.8 (80 प्रतिशत (से कम न रहे जिसमें असफल रहने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों की सम्पूर्ण बिल राशि पर निम्नांकित दरों के अनुसार निम्न ऊर्जा-कारक अधिभार भुगतान करना होगा :-

i. उपभोक्ता जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक अधिभार अभिलेखन हेतु सक्षम है :

a) 80 प्रतिशत से नीचे 75 प्रतिशत तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1 प्रतिशत की दर से अधिभार।

b) 75 प्रतिशत से नीचे 70 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 1.25 प्रतिशत अधिभार।

अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों का 10 प्रतिशत होगी।

ii. ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता जिनका मीटर औसत ऊर्जा कारक) पावर फैक्टर (अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्न दाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में कार्यरत रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, समय समय पर संशोधित, 2013, का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये जाने की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरुद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10 प्रतिशत की दर से निम्न ऊर्जा कारक अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर लेता।

- h) यदि उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा-कारक में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना हेतु कदम नहीं उठाये जाते तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग / भार-कारक सरचार्ज की उगाही , अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन -विच्छेद किये जाने के अधिकारों के पूर्वाग्रह से रहित होगी ।
- i) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- j) विद्युत-दर में, विद्युतऊर्जा पर किसी प्रकार के कर, उपकर अथवा शुल्क आदि सम्मिलित नहीं हैं, जो तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हों। ऐसे प्रभार, यदि कोई हों, टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा भुगतान योग्य होंगे ।
- k) **सभी श्रेणियों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार :-**
देयको का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर सम्पूर्ण राशि पर)बकाया सहित(, प्रतिमाह या उसके भाग पर 1.25 प्रतिशत की दर से अधिभार, 500रूपये तक के कुल बकाया देयक पर न्यूनतम रु .5 एवं 500रूपये से अधिक के देयक राशि पर न्यूनतम रु.10 भुगतान योग्य होगा । विलंबित भुगतान अधिभार के लिए माह के भाग को पूर्ण माह माना जाएगा । विलंबित भुगतान अधिभार को उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय को स्थायी रूप से विच्छेदित करने उपरान्त प्रभारित नहीं किया जाएगा । यह प्रावधान उस श्रेणी के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जहां विलंबित भुगतान अधिभार को प्रभारित किया जाना पृथक से निर्धारित किया गया है ।
- l) निम्नदाब संयोजन से उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन के प्रकरण में, उच्चदाब संयोजन प्राप्त करने से पूर्व उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा ।
- m) एक ही संयोजन में मिश्रित भारों का उपयोग :जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों के उपयोग हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ताओं को उस प्रयोजन हेतु विद्युत-दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।
- n) शहरी नियमावली के अन्तर्गत अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्लस्टर, तथा अन्य औद्योगिक टाउन शिप आदि जो भी नाम से जाने जाते हों, जिन्हें म.प्र.शासन या इसकी मान्यता प्राप्त एजेंसी के द्वारा अनुमोदित / निर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे क्षेत्र में विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग शहरी विद्युत दर से की जायेगी ।
- o) विद्युत / हाईवोल्टेज गाडियों के बैटरी चार्जिंग हेतु उपयोग की गई सुविधा की दरें संबंधित श्रेणी को लागू दर पर ही की जावेगी, जहां पर चार्जिंग सुविधा स्थित है । खुद के उपयोग हेतु इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों को घरेलू कनेक्शन से चार्जिंग की अनुमति होगी ।
- p) आयोग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए न्यूनतम प्रभारों सहित विद्युत दर अथवा विद्युत दर संरचना में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी । आयोग की लिखित अनुमति के बिना किया गया कोई भी कार्य शून्य एवं प्रभावहीन होगा तथा विद्युत अधिनियम 2003के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होगा ।
- q) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध के प्रावधानों से विपरीतात्मक हो /

- r) इस टैरिफ आदेश की किसी कंडिका को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर उसे माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत दूर किया जा सकता है।

9 निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें :

- a. किसी प्रत्याशित /विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जायेगी, जब यथोचित नोटिस देते हुये मांग की जाये। विद्यमान उपभोक्ता के अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को भी पृथक सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्वधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत आयोग के आदेश में विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- b. नियत प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की बिलिंग सामान्य टैरिफ की 1.3 गुना की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।
- c. प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान, अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय-समय पर सम्पूर्ति की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अंतिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।
- d. स्वीकृत भार या संयोजित भार 112 किलोवाट /150 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।
- e. अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन के माह से अभिप्रेत है, संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।
- f. संयोजन एवं विच्छेदन प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार पृथक से करना होगा।
- g. अस्थाई संयोजन खपत हेतु भार-कारक रियायत को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- h. ऊर्जा-कारक प्रोत्साहन / अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरूप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ अनुसूची

दर अनुसूची		पृष्ठ क्रमांक
एल.व्ही-1	रेलवे कर्षण	219
एच.व्ही.-2	कोयला खदानें	222
एच.व्ही-3.1	औद्योगिक	223
एच.व्ही-3.2	गैर-औद्योगिक	223
एच.व्ही-3.3	शार्पिंग माल	223
एच.व्ही-3.4	पावर इन्टेसिव उद्योग	223
एच.व्ही- 4	मौसमी	229
एच.व्ही-5.1	सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय	231
एच.व्ही-5.2	कृषि के अतिरिक्त उपयोग	231
एच.व्ही-6	थोक आवासीय प्रयोक्ता	233
एच.व्ही- 7	ग्रिड से संयोजित जनरेटर के विद्युत आवश्यकता हेतु	235

विद्युत-दर अनुसूची-एच.व्ही-1 रेलवे कर्षण:

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर रेलवे के केवल कर्षण भारों हेतु प्रयोज्य होगी।

विद्युत-दर

उपभोक्ता श्रेणी	नियत मासिक प्रभार (बिलिंग मांग प्रतिमाह पर रूपये प्रति के.व्ही.ए)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	नियत मासिक प्रभार (बिलिंग मांग प्रतिमाह पर रूपये प्रति के.व्ही.ए)	ऊर्जा प्रभार (पैसे / यूनिट)
	वर्तमान		प्रस्तावित	
132 के.व्ही.ए. / 220 के.व्ही.ए. पर रेलवे कर्षण	310	590	310	590

टीप :- 2/- रूपये प्रति यूनिट की छूट ऊर्जा प्रभार में लागू होगी, यह छूट आगामी 5 वर्ष तक लागू रहेगी।

विशिष्ट निबन्धन तथा शर्तें :

- राज्य में रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण को प्रेरणा दिये जाने की दृष्टि से उन नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं में से ऐसी नई परियोजनाओं को संयोजन तिथि से 5 वर्षों की अवधि हेतु ऊर्जा प्रभारों में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिनके लिए विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध अनुज्ञप्तिधारी के साथ वर्ष 2018-19 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई छूट उन टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।
- समर्पित संभरक संधारण प्रभार लागू नहीं होंगे।
- प्रत्याभूत न्यूनतम खपत 1500 यूनिट प्रति केव्हीए संविदा मांग होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत-दर हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये अनुरूप होगी।
- उपभोक्ताओं को समस्त समय पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। यदि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के 115 % से अधिक हो जाती है तो विभिन्न अनुसूची में दर्शाई गई विद्युत-दरें संविदा मांग के 115% तक ही प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग, जिसकी गणना अभिलिखित अधिकतम मांग एवं संविदा मांग के 115 % के अंतर से की जायेगी, हेतु ऊर्जा प्रभार तथा नियत प्रभार प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, हेतु कोई हो, भी ऐसी आधिक्य मांग हेतु प्रभावी होगी। किसी माह में इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग पर, यदि कोई हो, को रेलवे कर्षण छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं पर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :-
- आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग के तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत-दर की प्रभावशील दर पर ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(f) **आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार :** इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

i. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग से 130 प्रतिशत तक हो :-** संविदा मांग की 115 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, नियत प्रभारों की दर 341 रुपये प्रति के.व्ही.ए. होगी।

ii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130 प्रतिशत से अधिक हो:-** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये नियत प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग के 30 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, नियत प्रभारों की दर 465 रुपये प्रति के.व्ही.ए. होगी।

ऐसा करते समय टैरिफ के अन्य प्रावधान (जैसे न्यूनतम प्रभार आदि) भी अतिरिक्त मांग पर लागू होंगे।

(g) **ऊर्जा कारक अर्थदण्ड :**

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे औसत मासिक ऊर्जा कारक के 90 प्रतिशत से नीचे गिरने वाले प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट हेतु सकल ऊर्जा प्रभारों पर एक प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। पावर फ्रेक्टर अर्थदंड लैग प्रकार के ऊर्जा कारक के अभिलिखित होने की दशा में लागू रहेगा। ऊर्जा कारक लीड होने की दशा में कोई अर्थ दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे सकल ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत + औसत मासिक ऊर्जा कारक के 85 प्रतिशत से नीचे गिरने वाले प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट हेतु 2 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्याधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन हेतु, औसत मासिक ऊर्जा कारक को बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित किये गये कुल किलोवाट आवर्स तथा कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अनुपात (प्रतिशत) को निकटतम पूर्ण संख्या तक लिया जायेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक के अंश को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम के अंश को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता इसका सुधार कर कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा :-

- यह छः माह की अवधि उस माह से समझी जायेगी जिसमें औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।
- समस्त प्रकरणों में उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माहों (इस प्रकार कुल मिलाकर चार माहों में) में औसत ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से कम नहीं, संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि में निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में समायोजित किया जाएगा।
- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान कभी भी 90 प्रतिशत से कम रहा हो। तत्पश्चात्, यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(h) **आकस्मिक फ्रीड एक्सटेंशन:** बशर्ते यदि किसी कर्षण उपकेन्द्र में अथवा विद्युत प्रदाय करने वाली पारेषण लाइन में आकस्मिकता के परिणाम स्वरूप भार अथवा उसका अंश, निकटवर्ती कर्षण उपकेन्द्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उस निकटवर्ती कर्षण उपकेन्द्र की उस माह की अधिकतम मांग उन तीन माहों की औसत अधिकतम मांग होगी , जब कोई आकस्मिकता उत्पन्न न हुई हो ।

(i) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में उल्लेखित की गई है।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-2 कोयला खदानें :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर कोयला खदानों को पावर, वातायन, प्रकाश, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्राय है और जिसमें कोयला खदानों तथा कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि में उपभोग की गई समस्त ऊर्जा तथा आवासीय उपयोग में की गई खपत सम्मिलित है।

विद्युत-दर

उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (बिलिंग माँग प्रतिमाह पर रु प्रति केव्हीए)		खपत हेतु ऊर्जा प्रभार 50 प्रतिशत भार कारक तक (पैसे प्रति यूनिट)		खपत हेतु ऊर्जा प्रभार 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक पर (पैसे प्रति यूनिट)	
कोयला खदानें	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
11 के.व्ही. प्रदाय	620	635	670	690	580	600
33 के.व्ही. प्रदाय	630	645	650	670	570	590
132 के.व्ही. प्रदाय	640	650	630	630	560	570
220 के.व्ही. प्रदाय	650	665	600	610	530	540

विशिष्ट निबन्धन तथा शर्तें:

(अ) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट आवर में) प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग पर
220/132 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(ब) दिवस के समय (टाईम आफ डे) अधिभार / छूट:- यह अधिभार / छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

दर अनुसूची-एच.व्ही-3 औद्योगिक, गैर-औद्योगिक तथा शार्पिंग माल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.1 (औद्योगिक):- समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर), पावर, प्रकाश, पंखा आदि के लिए लागू होगा जिससे अभिप्राय है एवं जिसमें फैक्टरी में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण प्रकाश व्यवस्था एवं औद्योगिक इकाईयों के परिसरों में सामान्य तथा आनुषंगिक गतिविधियाँ यथा बैंक, सामान्य उद्देश्य की दुकानें, जल प्रदाय, भूमिगत मल पंप, पुलिस स्टेशन आदि तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर) अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन हेतु किया जाता हो एवं कोलड स्टोरेज में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा सम्मिलित है।

एच.व्ही.3.2 गैर औद्योगिक :-

रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, अस्पतालों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं, के पावर प्रकाश तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हेतु लागू होगा जिससे अभिप्राय है और जिनमें सम्मिलित है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण प्रकाश व्यवस्था आदि हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता, जो निम्नदाब गैर-घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, भी सम्मिलित होंगे,

एच.व्ही.3.3 शार्पिंग माल :- यह गैर औद्योगिक उपभोक्ता समूहो वाले शार्पिंग माल की संस्थापनाओं पर भी लागू होगा व इस अनुसूची (इ) में दर्शायी गयी विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अध्याधीन होगा।

शार्पिंग माल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्गों की व्यवस्था सहित स्वतंत्र खुदरा स्टोर तथा पार्किंग क्षेत्र होंगे जिसका संधारण संस्था / विकास -अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.4: (गहन विद्युत उद्योग) लघु इस्पात संयन्त्रों, एक ही परिसर में स्थित मिनी स्टील प्लांट मय रोलिंग मिल/ स्पोंज आयरन संयन्त्र, विद्युत रासायनिक/ विद्युत ताप उद्योग, फैरो-अलाय उद्योग पर प्रभावशील होगा, जिसका तात्पर्य है तथा जिसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी तथा कार्यालयों की प्रकाश व्यवस्था, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों, केन्टीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों में विद्युत व्यवस्था आदि में खपत की गई समस्त विद्युत आदि।

विद्युत-दर

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक नियत प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए(. बिलिंग माँग प्रति माह पर	50 % भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(50 % भार कारक से अधिक पर खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(मासिक नियत प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए (. बिलिंग माँग प्रति माह पर	50 % भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(50 % भार कारक से अधिक पर खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(
		वर्तमान			प्रस्तावित		
3.1	औद्योगिक						
	11 के.व्ही .प्रदाय	330	660	600	350	670	610
	33 के.व्ही .प्रदाय	510	650	550	525	650	560
	132 के.व्ही .प्रदाय	610	605	525	610	620	535
	220/400 के.व्ही . प्रदाय	620	565	500	630	580	510
3.2	गैर-औद्योगिक						
	11 के.व्ही .प्रदाय	300	680	630	320	685	630
	33 के.व्ही .प्रदाय	430	670	670	430	670	600
	132 के.व्ही .प्रदाय	540	620	550	560	620	550
3.3	शॉपिंग माल)गैर औद्योगिक श्रेणी में विलीन किया जाना है (
	11 के.व्ही .प्रदाय	270	680	625	300	710	650
	33 के.व्ही .प्रदाय	375	660	590	390	685	610
	132 के.व्ही .प्रदाय	510	600	540	510	620	560
3.4	गहन विद्युत उद्योग *						
	33 के.व्ही .प्रदाय	530	500	500	560	530	530
	132 के.व्ही .प्रदाय	640	480	480	660	495	495
	220 के.व्ही .प्रदाय	660	450	450	680	490	490

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें:

अ. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत** उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप-श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट आवर (में प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग
220/132 के.व्ही.ए. पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाएं	720
	अन्य	1800
33/11 के.व्ही.ए. पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाएं	600
	100 के.व्ही.ए. संविदा मांग तक	600
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी ।

ब. **दिवस के समय (टाईम आफ डे-टीओडी) अधिभार / छूट** : यह अधिभार/ छूट उच्चदाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा ।

स. **मौजूदा उच्चदाब कनेक्शन के लिए छूट**: वर्ष 2015-16 के समान्य माह की तुलना में मासिक खपत में वृद्धि पर 60 पैसे प्रतियूनिट की छूट ऊर्जा प्रभार में दी जायेगी । ऐसे उपभोगता जिनका एचटी अनुबंध वर्ष 2015-16 के दौरान हुआ है ऐसे उपभोगताओं का मासिक खपत वृद्धि वर्ष 2016-17 की मासिक खपत से तुलना की जावेगी।

टीप:- भार वृद्धि के प्रकरण में मासिक वृद्धि खपत की गणना कोन्ट्रैक्ट डिमान्ड के अनुपातिक होगी ।

ड. **नवीन उच्चदाब कनेक्शनों के लिए छूट** :- नवीन उच्च दाब उपभोक्ताओं को दी गई खपत पर ऊर्जा प्रभार में 01 रुपये प्रतियूनिट की छूट दी जावेगी। यह छूट अनुबंध होने की तिथि से पाँच वर्ष तक मान्य रहेगी । ऐसे उपभोक्ता जिनके अनुबंध वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में हुये हों के लिये वर्ष 2021-22 तक मान्य होगी जबकि यह कनेक्शन न्यू प्रोजेक्ट के लिये दिये गये हों। विदामान्य कनेक्शन का मालिकाना हक बदलने पर उसे नया कनेक्शन मानकार यह छूट लागू नहीं होगी।

टीप:- नई परियोजना का अभिप्राय यह है कि ऐसा नया उद्योग जिसे स्थापित करने के लिये उपभोक्ता द्वारा निवेश किया गया हो ।

इ. **विद्यमान्य उच्च दाब कनेक्शन जिनके द्वारा भार वृद्धि की गई, के लिये छूट** :- ऐसे उच्च दाब उपभोक्ता जिनके द्वारा 31 मार्च 2016 के पश्चात् कम से कम 250 के.वी.ए. अथवा संविदा मांग का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, भार वृद्धि की गई हैं उन्हें भार वृद्धि के अनुपातिक महावार खपत पर 01 रुपये प्रतियूनिट की छूट ऊर्जा प्रभार में लागू होगी बाशर्तें यह बड़ी हुई संविदा मांग उस माह के दौरान बनी हुई रहे। उच्च दाब उपभोक्ताओं के द्वारा ज्यादा खपत को प्रोत्साहन देने हेतु यह योजना लागू की जा रही हैं। यह छूट इस टैरिफ आदेश के लागू होने के दिनांक से मान्य होगी ।

फ. **कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ताओं के लिए छूट**:- ऐसे उपभोक्ता जो इस छूट का लाभ लेना चाहते हैं वे पैरा 'इ' में दी गई छूट के लिए अपात्र होंगे।

प्रयोज्यता: यह रिबेट उन उपभोक्ताओं को लागू होगी जिनके कैप्टिव पावर प्लांट हैं एवं :-

i. जो वर्ष 2016-17 या 2017-18 के दौरान अपनी मांग आशंकि या पूर्णता: कैप्टिव पावर प्लांट के द्वारा पूरी कर रहे हैं ।

- ii. जिन की खपत में वृद्धि दर्ज हुई है, जैसे वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2018-19 के सामान्य माह में अनुज्ञप्ति के द्वारा प्रदाय विद्युत खपत में वृद्धि हुई हो।
- iii. जिनके द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान केप्टीव पॉवर प्लांट स्थापित किया गया है। जैसे वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के सामान्य माह में अनुज्ञप्ति के द्वारा प्रदाय विद्युत खपत में वृद्धि हुई हो।
- iv. यह छूट उपभोक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति धारी को आवेदन देने की दिनांक से पाँच वर्ष या वर्ष 2021-22 जो भी पहले हों, तक मान्य होगी।
- v. उपभोक्ता को इस आशय का आवेदन अनुज्ञप्ति धारी को छूट प्राप्त करने के लिये देना होगा कि वह अपने विद्यमान केप्टीव पॉवर प्लांट से हटकर अनुज्ञप्ति धारी से विद्युत आपूर्ति करने का इच्छुक है।
- vi. उपभोक्ता को 02 रुपये प्रतियूनिट की छूट अनुज्ञप्ति धारी से अधिक की गई खपत पर लागू होगी बशर्ते उतनी ही यूनिट उपभोक्ता के द्वारा वर्तमान वर्ष में केप्टीव पॉवर प्लांट से पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादित की गई हो। छूट निम्न तालिका के अनुसार दी जावेगी :-

परिदृश्य	वर्ष 16-17/ वर्ष 17-18 (जो भी लागू हो)		वर्ष 2018-19		कंपनी की बड़ी हुई खपत (यूनिट)	केप्टिव उत्पादन में कमी (यूनिट)	विशिष्ट निबंधन तथा शर्तों के पैरा 'डी' के अनुसार 60 पैसे प्रति यूनिट की छूट हेतु लागू यूनिट	रु 2 की छूट हेतु यूनिट
	(A1)	(B1)	(A2)	(B2)	X	Y		
	विकंपनी से खपत	केप्टिव उत्पादन	कंपनी से खपत	केप्टिव उत्पादन	X=A2-A1	Y= B1-B2		
परिदृश्य 1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य 2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य 3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य 4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य 5	100	90	120	80	20	10	10	10

टीप:- उपरोक्त में केप्टीव पॉवर प्लांट में उल्लेख किया गया है जिसका आशय विद्युत अधिनियम 2005 की कंडिका 3 के तहत 'केप्टीव जनरेटिंग प्लांट' हैं।

- X. केप्टीव उपभोक्ता द्वारा वर्तमान वर्ष के किसी माह में वर्ष 2016-17 या वर्ष 2017-18 के उसी माह की खपत की तुलना में दर्ज की गई खपत में वृद्धि है।

तथा

Y. केप्टीव उपभोक्ता द्वारा वर्तमान वर्ष के किसी माह में वर्ष 2016-17 या वर्ष 2017-18 के उसी माह की केप्टीव पावर प्लांट से उत्पादित यूनिट की तुलना में कमी है।

खपत में वृद्धि के सभी अन्य प्रकारों के लिये, जब $X > Y$, विद्यमान उच्च दाब कनेक्शन $X-Y$ यूनिट के लिये छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे (HV-3 की विशेष निबंधन एवं शर्तों के कंडिका C में दिये गये वृद्धि खपत में लागू छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 1 :- केप्टीव उत्पादन में कोई कमी प्रतीत नहीं होती है परंतु वितरण कंपनी से की गई खपत में वृद्धि प्रतीत होती है अतः विद्यमान उच्च दाब कनेक्शन खपत में वृद्धि पर छूट का हकदार है। (HV-3 की विशेष निबंधन एवं शर्तों के कंडिका C में दिये गये वृद्धि खपत में लागू छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 2 :- वितरण कंपनी से की गई खपत में वृद्धि एवं केप्टीव उत्पादन में कमी, एक समान है अतः विद्यमान उच्च दाब कनेक्शन खपत में वृद्धि पर 02 रुपये प्रति यूनिट छूट का हकदार है।

परिदृश्य 3 :- केप्टीव उत्पादन में कमी वितरण कंपनी से की गई खपत में वृद्धि की तुलना में ज्यादा है अतः खपत में वृद्धि जैसे कि तालिका में दर्शाया गया है पर 02 रुपये प्रति यूनिट छूट का हकदार है।

परिदृश्य 4 :- वितरण कंपनी से की गई खपत में वृद्धि नहीं होने के कारण छूट का हकदार नहीं है।

परिदृश्य 5 :- यह परिदृश्य वितरण कंपनी से की गई खपत से वृद्धि को (X) तथा केप्टीव उत्पादन में कमी को (Y) से दर्शाता है। अतः

(X - Y) यूनिट विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों की कंडिका (c) के तहत छूट के लिए योग्य होंगे, जबकि (Y) यूनिट रु. 2/- प्रति यूनिट छूट के लिए योग्य होंगे।

g. **वर्तमान खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) तथा समूह केप्टीव उपभोक्ताओं के लिए छूट :-** रु. 1/- प्रति यूनिट की छूट उन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनका कि व्हीलिंग से खपत कम होकर अनुज्ञप्तिधारी से ली गयी हो। यह प्रस्तावित छूट सिर्फ अनुज्ञप्तिधारी के लाइसेंस क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं हेतु रहेगी :-

- जिन्होंने कि गत वित्तीय वर्ष में ओपन एक्सेस द्वारा ऊर्जा अनुज्ञप्तिधारी के वितरण परिक्षेत्र से व्हील की हो।
- जिनकी कि मासिक खपत बढी हुई दर्ज की गई हो, अर्थात् खपत की यूनिट वित्तीय वर्ष 2019 के किसी माह में वित्तीय वर्ष 2018 के उसी माह से अधिक दर्ज हुई हो।

खपत की गई यूनिट पर प्रस्तावित छूट निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :-

- Y, यदि $X > Y$,
- X, यदि $X = Y$ एवं
- X, यदि $X < Y$ जहां कि

यदि $X =$ बढी हुई खपत जो कि वर्तमान वर्ष के किसी माह में वर्तमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई हो, उसकी गत वर्ष के उसी माह की तुलना में। एवं

$Y =$ कम हुई व्हीलिंग की गई खपत जो कि वर्तमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता ने वर्ष के किसी माह में दर्ज की गई हो, उसकी गत वर्ष के उसी माह की तुलना में।

सभी प्रकार के प्रकरण जिनमें बढी हुई ऊर्जा खपत पर (अर्थात् $X > Y$, 60 पैसा की छूट $X - Y$ पर) पूर्वानुसार 60 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदाय की जाएगी।

उदाहरण हेतु निम्न तालिका में केप्टिव उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले रू. 1/- प्रति यूनिट की छूट

	वित्तीय वर्ष 2018		वित्तीय वर्ष 2019		वितरण कंपनी से बढ़ी हुई खपत ($X=A2-A1$)	व्हीलड यूनिट्स में कमी ($Y=B1-B2$)	पैसे 60 की छूट हेतु यूनिट्स	रू. 1 की छूट हेतु यूनिट
	कंपनी . से खपत (A 1)	व्हीलड यूनिट्स (B 1)	कंपनी . से खपत (A 2)	व्हीलड यूनिट्स (B 2)				
परिदृश्य 1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य 2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य 3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य 4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य 5	100	90	120	80	20	10	10	10

h. विद्यमान निम्नदाब उद्योग / गैर घरेलू कनेक्शनों का उच्चदाब कनेक्शनों में अनुरूप परिवर्तन :-

ऐसे विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता जो उच्चदाब एच.व्ही. 3.1 / एच.व्ही. 3.2 श्रेणी में वर्ष 2018-19 के दौरान परिवर्तित होते हैं उन्हें ऊर्जा प्रभार रू. 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जावेगी। यह छूट उच्चदाब अनुबंध लागू होने के पश्चात की गई खपत के लिए लागू होगी।

i. अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-4 मौसमी:

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर ऐसे मौसमी उद्योगों/ उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें उत्पादन के प्रयोजनों हेतु निरंतर अधिकतम 180 दिवस की तथा न्यूनतम 90 दिवस की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत-दर प्रयोज्य होगी। अनुज्ञमिधारी इस विद्युत-दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

अनुज्ञमिधारी इस दर सूची को किसी भी ऐसे उद्योग के लिए लागू करेगा जहां केवल मौसमी उपयोग होता है। यह दर मिनी/ माइक्रो एवम छोटे हाईड्रल संयंत्रों पर संयंत्रों के संधारण हेतु आवश्यक विद्युत आवश्यकता पर उस अवधि के लिए जिसमें ऐसा विद्युत प्रदाय लिया जाना किसी सीमा से बंधनहीन हो, भी लागू होगी।

विद्युत दर

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए .बिलिंग माँग प्रति माह)	50प्रतिशत भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50प्रतिशत भार कारक से अधिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)			
मौसम के दौरान						
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
11के.व्ही . प्रदाय	340	340	630	630	570	570
33के.व्ही . प्रदाय	370	370	620	620	540	540
बाह्य मौसम के दौरान						
11के.व्ही . प्रदाय	रूपये 340, मौसम के दौरान अभिलिखित वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के 10प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	रूपये 340, मौसम के दौरान अभिलिखित वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के 10प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	रु 756 अर्थात, मौसमी ऊर्जा प्रभारों का 120प्रतिशत	756 अर्थात मौसमी ऊर्जा प्रभारों का 120प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं
33के.व्ही . प्रदाय	रूपये 370, मौसम के दौरान अभिलिखित	रूपये 370, मौसम के दौरान अभिलिखित	रु 744 अर्थात, मौसमी)सीजनल (ऊर्जा	744 अर्थात, मौसमी)सीजनल (ऊर्जा	लागू नहीं	लागू नहीं

	वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के दस प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के दस प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	प्रभारों का 120प्रतिशत	प्रभारों का 120प्रतिशत		
--	---	---	---------------------------	---------------------------	--	--

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

1. प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत संविदा मांग पर 900 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।
2. दिवस के समय (टाईम आफ डे) छूट : यह छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य बन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।
3. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु मौसमी तथा बाह्य- मौसम (आफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता ने इस अवधि के जारी होने से पूर्व इस वित्तीय वर्ष के लिए मौसमी / बाह्य- मौसम माहों के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को पूर्व से ही सूचित कर दिया हो , तो उसे स्वीकार किया जाएगा और वह अवधि इस विद्युत दर आदेश के लिए वैध होगी।
4. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
5. यह विद्युत-दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।
6. उपभोक्ता को उसकी मासिक बाह्य -मौसम खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी बाह्य-मौसम माह में इस सीमा का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु एचव्ही-3.1 औद्योगिक अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।
7. उपभोक्ता को बाह्य -मौसम के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी माह में अधिकतम मांग घोषित बाह्य मौसम के दौरान संविदा मांग के 31.5 % से अधिक हो जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एच व्ही-3.1 औद्योगिक अनुसूची के अनुसार की जाएगी।
8. अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-5

सिंचाई, सार्वजनिक जल-प्रदाय तथा कृषि के अतिरिक्त उपयोग

प्रयोज्यता

विद्युत दर श्रेणी एच.व्ही. 5.1 में उदवहन सिंचाई योजनाओं, समूह सिंचाई, सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल-मल उपचार संयंत्रों/ जल-मल पंपिंग संयंत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की गई ऊर्जा हेतु लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएं, संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/ कर्मचारियों टाऊनशिपों आदि हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत-दर प्रयोज्य होगी।

विद्युत दर श्रेणी एच.व्ही. 5.2 में कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों, कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु-प्रजनन केन्द्र, चारागाहों, सब्जी/ फल/ पुष्प, कुकरमुत्ता उगाने वाली इकाईयों आदि तथा डेरियों (वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चरीकरण आदि किया जाता है) हेतु लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग एचवी-3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

विद्युत दर

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक नियत प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए .बिलिंग माँग प्रति माह)		ऊर्जा प्रभार (पैसे /यूनिट)	
5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उदवहन सिंचाई योजनाएं				
		वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
	11के.व्ही .प्रदाय	250	250	550	550
	33के.व्ही .प्रदाय	270	270	530	530
	132के.व्ही .प्रदाय	300	300	500	500
5.2	कृषि संबंधी अन्य उपयोग				
	11के.व्ही .प्रदाय	260	260	555	560
	33के.व्ही .प्रदाय	280	280	535	540
	132के.व्ही .प्रदाय	310	310	505	510

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत : संविदा मांग पर 720 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।
- दिवस के समय (टाईम आफ डे) छूट : छूट की पात्रता उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाये अनुसार होगी।

- c. **मांग-परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर (जैसे कि पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटर) , उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनितों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को प्रयोग में लाये जाने वाले माह तथा इसका सत्यापन अनुज्ञपितधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाने के आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञतिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञतिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।
- d. अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-6

थोक आवासीय प्रयोक्ता

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी-6.1 औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप (उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों , सैनिक अभियंत्रिकी सेवाओं, सीमान्त ग्रामों आदि) के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी बशर्ते अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर-घरेलू विद्युत प्रदाय , पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत हो :-

- (1) जलप्रदाय तथा जल-मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु - सीमा का कोई बंधन नहीं ।
- (2) समन्वित रूप से गैर-घरेलू/ वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु - कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत ।

टैरिफ श्रेणी एचवी-6.2: भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह-निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह-निर्माण समितियों, वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं, वृद्धाश्रम, वरिष्ठ नागरिक देखभाल केन्द्र, बचाव गृह, तथा शासन / चैरिटी द्वारा संचालित अनाथालयों को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। इस श्रेणी हेतु उपभोक्ताओं को निबन्धन तथा शर्तें म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के उपबन्धों, जैसे कि ये समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी ।

विद्युत दर

स.क्र.	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक नियत प्रभार (रुपये प्रति के.व्ही.ए.) बिलिंग माँग प्रति माह पर	50 प्रतिशत भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत से अधिक भार कारक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रुपये प्रति के.व्ही.ए(.	50 प्रतिशत भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार) पैसे प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		वर्तमान			प्रस्तावित		
1	टैरिफ उप-श्रेणी एचवी-6.1 हेतु						
	11 के.व्ही .प्रदाय	290	585	530	320	595	540
	33 के.व्ही .प्रदाय	310	570	510	340	580	520
	132 के.व्ही .प्रदाय	340	530	480	360	530	490
2	टैरिफ उप-श्रेणी एचवी-6.2 हेतु						
	11 के.व्ही .प्रदाय	180	580	520	195	590	530
	33 के.व्ही .प्रदाय	185	560	500	200	570	510

	132 के.व्ही .प्रदाय	195	520	470	205	530	480
--	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (अ) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग पर 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।
- (ब) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी, जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-7

ग्रिड से जुड़े जनरेटरों हेतु विद्युत की आवश्यकता

प्रयोज्यता :-

यह दर सूची उन जनरेटरों पर लागू होगी जो ग्रिड से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं और ग्रिड से सिन्क्रोनाइजेशन अथवा ब्रेकडाउन, स्टार्टअप अथवा रख-रखाव हेतु विद्युत लेना चाहते हैं।

सभी वोल्टेज हेतु दर

क्र .	उपभोक्ता की श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसा प्रति यूनिट)	
		विद्यमान	प्रस्तावित
	ग्रिड से जुड़े जनरेटरों हेतु विद्युत की आवश्यकता	875	895

निबंधन एवं शर्तें

- ग्रिड से सिन्क्रोनाइजेशन अथवा स्टार्टअप पावर हेतु प्रदाय पावर प्लांट की उच्चतम रेटिंग वाले यूनिट की क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- जनरेटर जिसमें सी.पी.पी. भी सम्मिलित है के लिए न्यूनतम खपत की शर्त लागू नहीं होगी। प्रत्येक अवसर पर ली गई ऊर्जा की खपत के लिए बिलिंग की जाएगी।
- सी.पी.पी. / कोजनरेशन के लिए विद्युत प्रदाय की अनुमति उत्पादन के उद्देश्य के लिए नहीं होगी। इसके लिए वे संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत स्टैंडबाई सपोर्ट ले सकते हैं।
- ग्रिड से ऊर्जा का आहरण केवल संयंत्र की कमीशनिंग के बाद ही प्रभावशील होगा।
- सी.पी.पी. सहित जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड के साथ पावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों का समाहित करते हुए एक अनुबंध निष्पादित करेंगे।

उच्चदाब विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित विद्युत दर अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन होंगी :

- 1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा।
- 1.2 सेवा का स्वरूप : सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 समय समय पर संशोधित, के अनुसार होगा।
- 1.3 प्रदाय बिन्दु :-
 - (a) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।
 - (b) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक् रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।
 - (c) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। तथापि उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय, तकनीकी संभावनाओं के अध्याधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु मीटरीकरण तथा बिलिंग अलग-अलग की जाएगी।
- 1.4 मांग का अवधारण : प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के स्लाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार, प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलो वोल्ट एम्पीयर घंटे की चार गुना होगी।
- 1.5 बिलिंग मांग: माह के दौरान माह हेतु बिलिंग मांग उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के कंडिका 3.4 में विषय से संबंधित जानकारी का उल्लेख किया गया है। मामले में बिजली की खुली पहुँच के माध्यम से लाभ उठाया है, महीने के लिए बिलिंग मांग महीने मांग जिसके लिए खुला पहुँच लाभ उठाया है या अनुबंध मांग का 90% की अवधि के लिए खुला पहुँच के माध्यम से लाभ उठाया छोड़कर दौरान वास्तविक अधिकतम केवीए मांग की जाएगी।

टीप – बिलिंग मांग को निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या अधिक अंश को अगले उच्चतर अंक तक पूर्णांकित किया जायेगा तथा 0.5 से कम अंश को उपेक्षित किया जायेगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

- (1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग प्रति केवीए के आधार पर यूनिट बिलिंग की जाएगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युतमात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।
- (2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) के बारहवें भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत ऊपर दर्शाई गई मासिक खपत से कम हो।
- (3) उस माह में, जिसमें वास्तविक संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर अथवा अधिक हो जाती है, वित्तीय वर्ष के दौरान उसके अनुवर्ती महीनों में मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।
- (4) उस माह, जिसमें उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत या प्रभारित की गई मासिक खपत आनुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाये तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा। यदि वास्तविक संचयी खपत इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी

जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युतखपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलो वाट आवर वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर है।

माह	वास्तविक संचयी खपत	संचयी न्यूनतम खपत	तीन अथवा दो में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान बिल की जा चुकी खपत	यूनिट जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है
	(कि.वाॅ.घंटे)	(कि.वाॅ.घंटे)	(कि.वाॅ.घंटे)	(कि.वाॅ.घंटे)	(कि.वाॅ.घंटे)(4-5)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 पूर्णांकित करना: समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे एवं उससे अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड :

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	1.0(एक प्रतिशत)
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	2.0(दो प्रतिशत)
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	3.0(तीन प्रतिशत)
99 प्रतिशत से अधिक	5.0(पांच प्रतिशत)

1.9 भार कारक की गणना

(क) भार-कारक की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{ऊर्जा कारक}}$$

- मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों की संख्या होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।
- बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधि के घंटे शामिल न होंगे।
- मांग : अधिकतम अभिलिखित मांग या संविदा मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी
- ऊर्जा कारक : वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक या 0.9, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा

टीप : भार कारक (प्रतिशत) को निकटतम निम्नतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट को सेटआफ कर उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से लिया जाएगा। उपभोक्ता को बिलिंग के प्रयोजन से, माह के दौरान मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती तिथियों के बीच की दिवस संख्या बिलिंग माह होगी।

1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी अग्रिम भुगतान की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उस राशि पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कैलेण्डर माह के अंत में (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में समायोजित कर दी जाएगी।

1.11. **ऑन लाइन भुगतान पर छूट :-** उपभोक्ता को ऑन लाइन बिल का भुगतान करने पर कुल राशि का 0.5 प्रतिशत अधिकतम 1000/- रुपये प्रति बिल छूट लागू होगी। आन लाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध होंगी :-

- पेमेन्ट गेटवे
- नेट बैंकिंग
- डेबिट / क्रेडिट कार्ड

- (iv) एम.पी.ऑन लाईन (एम.पी.आन लाईन बेव पोर्टल के द्वारा)
- (v) एस.बी.आई. कलेक्ट (केवल उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए)
- (vi) स्मार्ट बिजली (मोबाइल एप)

अन्य इसी प्रकार के अन्य मोड जो समय-समय पर वितरण कंपनियों द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

- 1.12. **त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन :-** जहां किसी चालू माह हेतु देयक 1 लाख या 1 लाख से अधिक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि पर (बकाया राशि, सुरक्षा प्रतिभूति, मीटर किराया तथा शासकीय उगाही यथा विद्युत शुल्क को छोड़कर) 0.25 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरुद्ध देयकों की राशि बकाया हो, को इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।
- 1.13 **दिवस के समय (टाईम आफ डे) अधिभार / छूट:** यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग-अलग अवधियों हेतु, अर्थात् सामान्य अवधि, शीर्ष-भार तथा शीर्ष-बाह्य भार अवधि हेतु प्रयोज्य होगी। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/ छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/ बाह्य शीर्ष अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/ छूट
1	शीर्ष अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर
2	बाह्य शीर्ष अवधि (रात्रि 10 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत छूट

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात् दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/ छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

1.14 **ऊर्जा कारक अर्थदंड (रेलवे कर्षण एचवी-1 श्रेणी को छोड़कर)**

- (i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 % (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, कुल बिल राशि पर 1 % (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान "ऊर्जा प्रभार शीर्ष के अन्तर्गत करेगा।
- (ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को प्रत्येक 1 % (एक प्रतिशत) गिरावट जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5 % (पांच प्रतिशत) + औसत भार कारक में 85 % से प्रत्येक 1 % गिरावट के लिए 2 % (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35 % से अधिक न होगा।
- (iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद-भाव के निम्न ऊर्जा कारक हेतु दंडिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

- (iv) इस प्रयोजन से, औसत मासिक ऊर्जा कारक को बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल किलोवाट आवर्स तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रतिशत निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक अंश को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम अंश को उपेक्षित किया जाएगा।
- (v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 % से कम पाया जाता है, तो उपभोक्ता इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा:
- a यह 6 माह की अवधि उस माह से मान्य की जाएगी जिस माह में औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 % से कम पाया गया हो।
- b. समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90 % औसत मासिक ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण कथित 6 माह की अवधि के लिए बिल किये गये प्रभारों को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें खाते में जमा किया जाएगा।
- c उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 % से कम रहा हो। तत्पश्चात, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 % से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.15 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

- (i) उपभोक्ताओं को समस्त समय पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। यदि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के 115 % से अधिक हो जाती है तो विभिन्न अनुसूची में दर्शाई गई विद्युत-दरें संविदा मांग के 115% तक ही प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग, जिसकी गणना अभिलिखित अधिकतम मांग एवं संविदा मांग के 115 % के अंतर से की जायेगी, हेतु ऊर्जा प्रभार तथा नियत प्रभार प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, हेतु कोई हो, भी ऐसी आधिक्य मांग हेतु प्रभावी होगी। किसी माह में इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग पर, यदि कोई हो, को रेल्वे कर्षण छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं पर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :-
- (ii) **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग के तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत-दर की प्रभावशील दर पर ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- (iii) **आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार :** इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :
- (1) **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग की 130 प्रतिशत तक हो :-** संविदा मांग की 115 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, नियत प्रभारों को, इनकी सामान्य दर की 1.3 गुना पर प्रभारित किया जाएगा।
- (2) **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130 प्रतिशत से अधिक हो:-** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये नियत प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग के 30 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, नियत प्रभारों को सामान्य दर की 2 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभारों का
- (3) यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की नियत प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

- (a) 115 केवीए तक, सामान्य विद्युत-दर पर
- (b) 115 केवीए से अधिक तथा 130 केवीए तक, अर्थात् 15 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत-दर की 1.3 गुना दर पर
- (c) 130 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत-दर की 2 गुना दर पर
- (iv) किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।
- (v) आधिक्य मांग की उच्चतर विद्युत दर पर बिलिंग, म.प्र.वि.प्रदाय संहिता 2013 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।
- 1.16 विलंबित भुगतान अधिभार :** देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को शेष राशि (बकाया राशि को समिलित कर), पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से माह अथवा उसके भाग के लिए करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।
- 1.17 अनादरित धनादेशों पर सेवा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (धनादेशों), को अनादरित कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त रुपये 1000/- प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान, अनुज्ञप्तिधारी के, बिना किसी पक्षपात के किसी अन्य प्रभावशील कानून के अन्तर्गत, कार्यवाही किये जाने के अधिकार के अध्याधीन होगा।
- 1.18 उच्चादाब पर अस्थायी विद्युत प्रदाय :** यदि कोई उपभोक्ता किसी अल्प अवधि के लिए अस्थायी विद्युत प्रदाय चाहता हो, तो म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार अस्थायी विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न दरों के अध्याधीन प्रभारित किया जाएगा :
- a. नियत प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। नियत प्रभारों की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी। माह की गणना उस माह के कुल दिवसों की मानी जाएगी।
- b. उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि स्थायी उपभोक्ताओं पर आनुपातिक आधार पर दिवस संख्या अनुसार प्रभावशील है। विवरण नीचे दिया गया है :-
- अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत =
$$\frac{(\text{स्थायी विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक } \times \text{ प्रदाय हेतु न्यूनतम खपत न्यूनतम खपत } \times \text{ अस्थायी संयोजन दिवस संख्या})}{(\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या})}$$
- C बिलिंग मांग,** उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

- D. यदि वास्तविक अभिलिखित मांग स्वीकृत मांग से अधिक हो तो, आधिक्य में दर्ज की गई मांग को अतिरिक्त मांग माना जाएगा। बिलिंग के उद्देश्य से, किसी माह में यदि कोई अतिरिक्त मांग हो तो, उसे अस्थाई विद्युत दर के 1.2 गुणा से बिलिंग की जाएगी। अतिरिक्त मांग पर अतिरिक्त शुल्क की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

$$\text{अतिरिक्त मांग हेतु नियत प्रभार} = \text{नियत शुल्क प्रति के.व्ही.ए. अस्थायी कनेक्शन हेतु} \times \text{अतिरिक्त मांग} \times 1.2$$

$$\text{अतिरिक्त मांग के अनुपातिक खपत का ऊर्जा प्रभार} = \text{अस्थायी कनेक्शन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति यूनिट} \times 1.2 \times \text{अतिरिक्त मांग के अनुपातिक खपत}$$

यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय की अवधि 06 माह से अधिक होती है तो उपभोक्ता को आगामी 06 माह की अवधि हेतु अग्रिम अनुमानित शुल्क का भुगतान करना होगा और शेष अवधि के लिए प्रावधानिक शुल्क का भुगतान 06 माह की अवधि के आखरी माह में करना होगा।

- e. उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय-समय पर की गई संभूति के अध्वधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अनितम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- f. उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु किराये का भुगतान करना होगा।
- g. संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।
- h. विद्यमान उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में, निम्नांकित मूल्यांकन कार्यप्रणाली के आधार पर विद्यमान स्थाई उच्चदाब उपभोक्ता के माध्यम से अस्थाई संयोजन प्रदान किया जा सकता है :-
- (i) नियत प्रभार सामान्य प्रभारों के 1.3 गुणा लिए जाएंगे।
- (ii) डीमड संविदा मांग = स्थाई संयोजन हेतु संविदा मांग + अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग
- (iii) माह के लिए बिलिंग मांग की गणना निम्नानुसार रीति से की जावेगी :

- (1) जब माह के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग माह के लिए मान्य संविदा मांग से कम हो, माह के लिए नियत प्रभार, 100 प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युतदर के अनुसार नियत प्रभारों एवं "ए" अथवा "बी" में से उच्चतर मांग पर सामान्य विद्युत दर पर नियत प्रभारों का योग होगा (जहां "ए" अभिलिखित मांग और अस्थाई स्वीकृत मांग का अंतर है और "बी" स्थाई संयोजन की संविदा मांग का 90 प्रतिशत है)।

यदि माह के दौरान वास्तविक अभिलिखित मांग मान्य संविदा मांग से कम है, तो खपत का विभाजन निम्न तरीके से विभाजन किया जाएगा :-

- (i) अस्थायी स्वीकृत मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (A) सामान्य ऊर्जा प्रभार के 1.3 गुणा दर पर बिलिंग की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी :-

$$A = \frac{\text{अस्थायी संयोजन हेतु स्वीकृत मांग} \times \text{कुल खपत}}{\text{वास्तविक अभिलिखित मांग}}$$

- (ii) स्थायी संविदा मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (B) की निम्नानुसार गणना की जावेगी :-

$$B = \text{कुल खपत} - A$$

- (2) जब माह के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग माह के लिए मान्य संविदा मांग के बराबर हो, माह के लिए नियत प्रभार, 100 % अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत दर के अनुसार नियत प्रभारों एवं स्थाई संयोजन की 100 % संविदा मांग पर सामान्य विद्युत दर पर नियत प्रभारों का योग होगा।
- (i) अस्थायी स्वीकृत मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (A) सामान्य ऊर्जा प्रभार के 1.3 गुणा दर पर बिलिंग की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी :-

$$A = \frac{\text{अस्थायी संयोजन हेतु स्वीकृत मांग} \times \text{कुल खपत}}{\text{मान्य संविदा मांग (डी.सी.डी.)}}$$

- (ii) स्थायी संविदा मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (B) की निम्नानुसार गणना की जावेगी :-

$$B = \text{कुल खपत} - A$$

- (3) जब माह के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग, माह के लिए मान्य संविदा मांग से अधिक हो, माह के लिए नियत प्रभार, 100% अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत दर के अनुसार नियत प्रभारों, स्थाई संयोजन की 100% संविदा मांग पर सामान्य विद्युतदर पर नियत प्रभारों एवं मान्य संविदा मांग से अधिक की मांग के 100% पर अस्थाई विद्युतदर के 1.2 गुणा पर नियत प्रभारों का योग होगा।

यदि माह के दौरान वास्तविक अभिलिखित मांग मान्य संविदा मांग से अधिक है, तो खपत का विभाजन निम्न तरीके से विभाजन किया जाएगा :-

- (i) स्थायी संविदा मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (A) की निम्नानुसार गणना की जावेगी :-

$$A = \frac{\text{संविदा मांग} \times \text{कुल खपत}}{\text{वास्तविक अभिलिखित मांग}}$$

- (ii) अस्थायी स्वीकृत मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (B) सामान्य ऊर्जा प्रभार के 1.3 गुणा दर पर बिलिंग की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी :-

$$B = \frac{\text{अस्थायी संयोजन हेतु स्वीकृत मांग} \times \text{कुल खपत}}{\text{वास्तविक अभिलिखित मांग}}$$

- (iii) अतिरिक्त मांग के अनुपात में माह के दौरान खपत (C) की निम्नानुसार गणना की जावेगी :-

$$C = \text{कुल खपत} - (A+B)$$

- (iv) मान्य संविदा मांग से अधिक अभिलिखित मांग को आधिक्य मांग समझा जायेगा। ऐसी आधिक्य मांग को बिलिंग उद्देश्य के लिये किसी माह में, यदि कोई है, अस्थाई संयोजित भार से संबद्ध माना जायेगा और इसे अस्थाई संयोजन हेतु लागू प्रभारों के 1.2 गुणा की दर से किया जायेगा। अस्थाई संयोजन की अवधि में अभिलिखित आधिक्य मांग के लिए अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

$$\text{आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार} = \text{अस्थाई संयोजन हेतु नियत प्रभार प्रति केव्हीए} \times \text{आधिक्य मांग} \times 1.2$$

$$\text{आधिक्य मांग के अनुरूप खपत हेतु ऊर्जा प्रभार} = \text{अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार} \times \text{आधिक्य मांग के अनुरूप खपत (C)} \times 1.2$$

- (4) नियत प्रभार की वसूली माह के दौरान विद्युत उपयोग किये गये दिनों की संख्या के आधार पर मासिक नियत प्रभार का अनुपातिक राशि ली जावेगी। माह में दिनों की संख्या वार्षिक कैलेंडर के आधार पर तय की जाएगी।
- (i) पावर फेक्टर प्रोत्साहन / दंड तथा टाइम ऑफ डे अधिभार/छूट की स्थिति स्थाई संयोजनों के समान दर पर प्रभावशील होगी।
- (j) ऑन लाईन भुगतान की छूट, त्वरित भुगतान प्रोत्साहन, अनादरित धनादेश पर लगने वाले प्रभार, उच्चदाब संयोजनों हेतु लागू सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू होगी।

स्थायी संयोजनों हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

- 1.19 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो स्वयं के अनुरोध पर 11 केवी पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
- 1.20 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10,000 केवीए से अधिक हो तथा जो स्वयं के अनुरोध पर 33 केवी पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
- 1.21 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो स्वयं के अनुरोध पर 132 केवी पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
- 1.22 मापयंत्र प्रभारों की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009, समय समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के एक अंश को पूर्ण माह माना जाएगा।
- 1.23 विद्युत दर में विद्युत ऊर्जा पर किसी प्रकार का कर अथवा चुंगी सम्मिलित नहीं है जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो उपभोक्ता द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त भुगतान योग्य होंगे।
- 1.24 इस विद्युत-दर आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत-दर की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- 1.25 आयोग की बिना किसी पूर्व लिखित अनुमति के विद्युतदर अथवा विद्युतदर संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव, न्यूनतम प्रभारों सहित, नहीं किया जा सकता। आयोग की लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई आदेश शून्य एवं प्रभावहीन होगा तथा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होगा।
- 1.26 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग किये गये वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

- 1.27 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिन्हें नियत प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्येक माह में नियत प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युतऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- 1.28 इस टैरिफ आदेश की किसी कंडिका को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर उसे माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत दूर किया जा सकता है।
- 1.29 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई विपरीत उपबंध, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध में विद्यमान हों।